


प्रधानमंत्री का सपना सबका घर हो अपना

NO.: NG _____

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा स्वीकृत

अफोडेबल आवासीय योजना



Registered under UP RERA - PRJ7496
up-rera.in

आवास बंधु



आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार


निलाया
छोटी सी कीमत, बड़ी सी छुश्शी
एन.एच. 58, राज नगर एक्स., गाज़ियाबाद



उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

उम्प्र० सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत
निलाया इन्फ्रा प्रा० लि० द्वारा विकसित की जा रही
आवासीय योजना “निलाया ग्रीन्स” का
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी जी
द्वारा २६ जुलाई को लखनऊ मे उम्प्र० इन्वेस्टर समिट के
ग्राउन्ड ब्रैकिंग समारोह
मे सम्मिलित एवं शिलान्यास किये जाने पर

हार्दिक आभार



उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा “आवास बन्धु” नाम से वर्ष 1997 में एक शीर्ष संस्थान बनाया गया था जो आवासीय क्षेत्र और उसके संयोजन सम्बंधी क्रियाकलापों के निष्पादन का ध्यान करता है।

आवास बन्धु का उद्देश्य

- नियोजित विकास और आवास से संबंधित समस्याओं के लिए समय पर समाधान प्रदान करने के लिए
- आवास और विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
- विकास प्राधिकरण और एक सुविधा के रूप में आवास एवं विकास बोर्ड की भूमिका को मजबूत करने के लिए
- निष्पादन और योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास शहरी मिशन

हम माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक ‘सबके लिए आवास’ शुरू किया है। 25 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारम्भ किया है।

यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन अभीकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।

इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न विकल्पों के माध्यम से शहर के आर्थिक रूप से कमज़ोर, निम्न एवम् मध्यम आय वर्ग की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है।

निलाया ग्रीन्स में इस मिशन के दो प्रमुख उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है।

1. सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
2. ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमज़ोर, निम्न एवं मध्यम आर्य वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।

इस योजना के लाभ:

- 6 लाख रुपये वार्षिक आय तक, ब्याज में सब्सिडी : 6 लाख के लोन पर 15 वर्ष (अधिकतम) अथवा कम/वास्तविक अवधि तक, 6.5 प्रतिशत
- 12 लाख रुपये वार्षिक आय तक, ब्याज में सब्सिडी : 12 लाख के लोन पर 20 वर्ष (अधिकतम) अथवा कम/वास्तविक अवधि तक, 4 प्रतिशत
- 18 लाख रुपये वार्षिक आय तक, ब्याज में सब्सिडी : 18 लाख के लोन पर 20 वर्ष (अधिकतम) अथवा कम/वास्तविक अवधि तक, 3 प्रतिशत
- ब्याज में अधिकतम छूट रुपये 2.67 लाख (लगभग)

विकासकर्ता

निलाया इन्फ्रा का गठन समाज के अधिक से अधिक लोगों को अफोर्डेबल एवं उत्तम क्वालिटी के आवास प्रदान करने के मिशन के रूप में किया गया है।

निलाया इन्फ्रा ने राजनगर एक्स्टेंशन (गाजियाबाद) में कम एवं मध्यम आय वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल आवास परियोजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय योजना के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ इस परियोजना का शुभारम्भ किया है।

UP GOVT. APPROVED AFFORDABLE HOUSING SCHEME

1.00	योजना का नाम	1.00	SCHEME NAME
	उ.प्र. सरकार द्वारा स्वीकृत अफोर्डेबल आवासीय योजना – निलाया ग्रीन्स राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में 2/3/4 कमरों की बहुमंजिले आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण।		U.P. Govt.'s approved Affordable Awas Yojna - NILAYA Greens, Raj Nagar Extension, Ghaziabad: For Registration / allotment of 2/3/4 rooms residential homes.
2.00	योजना का विवरण	2.00	SCHEME DETAILS
2.10	स्थान	2.10	LOCATION
	उक्त योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।		The aforesaid scheme is situated in the area of the Ghaziabad Development Authority.
2.20	भवनों के प्रकार	2.20	TYPE OF FLATS
	इस योजना में विभिन्न प्रकार के 2, 3 व 4 कमरों के बहुमंजिले भवन विकसित किये जाने हैं। भवनों का विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।		Different types of 2,3 & 4 Room flats are available under this scheme. The details of flats are given in Table
2.30	भवनों का अनुमोदित क्षेत्रफल	2.30	ESTIMATED AREA OF FLATS
	विभिन्न प्रकार के भवनों का क्षेत्रफल तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है। अपरिहार्य स्थिति में कब्जे के समय यह क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है।		Super Area of flats of different types has been mentioned in Table This area may vary at the time of Possession.
2.40	भवनों की अनुमानित संख्या	2.40	ESTIMATED NUMBER OF FLATS
	भवनों की अनुमानित संख्या 1654 है।		The total number of flats are approximately 1654.
2.50	भवनों का अनुमानित मूल्य	2.50	ESTIMATED COST OF FLATS
	भवनों का अनुमानित मूल्य प्राईस लिस्ट में दर्शाया गया है।		Cost of Flats has been mentioned in the Price List.
3.00	पात्रता/ ग्राहता/ योग्यता	3.0	ELIGIBILITY
3.10	आवेदक भारत का नागरिक हो।	3.1	The applicant must be a citizen of India.
3.20	योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।	3.20	Applicant should not be less than 18 years of age on the last date of submission of application form.
4.00	आवेदन कैसे करें	4.0	HOW TO APPLY
	पंजीकरण/आवेदन फार्म 250 रुपये के भुगतान पर साईट कार्यालय, चैनल भागीदारों और बैंकों के प्रमुख चुनिंदा शाखाओं से उपलब्ध हो जाएगा। विधिवत भरे और हस्ताक्षर किए चैक/ डीडी के साथ आवेदन फार्म ऊपर उल्लेखित बैंक शाखाओं में या साइट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। चैक/बैंक ड्राफ्ट निलाया इंफा (प्रा.) लिमिटेड के पक्ष और बैंक की शाखाओं जहां रुपए जमा हो रहे हैं पर देय होगा।		The registration/ application form will be available from the site office, channel partners and major select branches of Banks on payment of ₹250/- only. The duly filled and signed application form along with Cheque/ DD may be deposited in the select bank branches or at the site office. Cheque/ Bank draft would be in favour of NILAYA INFRA (P) Ltd. and payable at the branches of the bank where forms are to be deposited.
5.00	आवंटन: पंजीकृत आवेदकों को भवनों का आवंटन पूर्ण पंजीकरण धनराशि चैक/ बैंक ड्राफ्ट/ ऑनलाइन माध्यम से जमा करने पर किया जायेगा। आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत (रजिस्ट्रेशन की धनराशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर चैक/ बैंक ड्राफ्ट/ ऑनलाईन के द्वारा जमा कराना होगा। आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि आवंटन धनराशि में समायोजित कर ली जाएगी।	5.0	ALLOTMENT : Applicants will have to pay registration amount through cheque/ Bank Draft/ online medium only. Successful applicants have to deposit 10% cost of the house as allotment money within 30 days from the date of allotment letter through cheque / bank DD after adjusting earlier paid registration amount.

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

5.10 आवेदक की वित्तीय स्थिति के आकलन के पश्चात बैंक द्वारा CLP के अनुसार बैंक ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ऋण का देय ब्याज का भुगतान आवंटी को स्वयं करना होगा।

5.20 किस्तें : आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत शेष धनराशि CLP के अनुसार देय होगी।

5.30 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों में भवन के मूल्य का 95% धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 15 दिन से अधिक विलम्ब से भुगतान करने पर यह सुविधा देय नहीं होगी। भुगतान राशि की व्यवस्था आवंटी को स्वयं करनी होगी।

5.40 पैनल ब्याज

यदि देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो आवंटी को देय धनराशि का भुगतान 10.25 प्रतिशत वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित जमा करना होगा। पैनल ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

6.00 समर्पण / निरस्तीकरण

6.10 यदि कोई आवेदक भवन का आवंटन होने के पश्चात् आवंटित भवन का समर्पण करता है तो इस स्थिति में जमा पूर्ण पंजीकरण धनराशि / यूनिट की कीमत का 10 प्रतिशत (जो भी दोनों में ज्यादा है) जब्त कर ली जायेगी।

6.20 यदि किसी आवेदक द्वारा भवन का आवंटन होने के पश्चात् देय आवंटन धनराशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है अथवा आवंटन धनराशि / किस्तों का भुगतान समय पर न करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो इस दशा में पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.30 भुगतान विवरण के अनुसार दो किस्तें लगातार जमा न कराने की दशा में भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार विकास कर्ता को होगा तथा ऐसी दशा में भवन की कीमत का 10% धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापिसी हेतु आवटी को समर्त मूल प्रपत्र व मूल रसीदे वापिस जमा करानी होगी।

6.40 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि 6 माह तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

5.10 Based upon the financial eligibility of applicants, the banks may provide facility of loan to pay installments according to Construction Linked Plan (CLP). However, the bank interest will be paid by the applicants.

5.20 **INSTALLMENTS :** After the issue of allotment letter, the balance amount can be paid according to Construction Linked Plan.

5.30 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

10% discount on total cost of the house will be provided if 95% cost of the house is paid within 15 days from the date of issue of allotment letter. This facility of one time payment discount will not be available 15 days after due date.

5.40 PENAL INTEREST

If the amount payable is not paid within time, penal interest @ 10.25% per annum shall be paid along with the payment amount. Penal interest will be calculated on per day basis.

6.0 SURRENDER/ CANCELLATION

6.10 If an applicant surrenders the allotted unit after the allotment then full registration amount /10% of the Unit Cost (whichever is higher) shall be forfeited.

6.20 After allotment If an applicant does not pay allotment money in time or his allotment is terminated / forfeited due to non payment of allotment money or installments in time then full registration amount shall be forfeited.

6.30 The developer shall have the right to cancel the allotment of flat as per the rule if there is default in payment of two consecutive installments according to the payment schedule & will forfeit the 10% of the cost of the flat and balance will be refunded to the allottee without any interest. All original documents & receipts will have to be submitted by the applicant for refund.

6.40 In case the possession is not taken by the allottee till 6 months from offer of possession, allotment shall be cancelled and the balance amount would be refunded without any interest as per company's policy.

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

7.00 असफल आवेदक

असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में 45 दिनों में ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट / चैक द्वारा संबंधित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।

8.00 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

9.00 कब्जा इस योजना में भवन का कब्जा निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं आवंटी द्वारा कुल मूल्य/अन्य शुल्क की राशि, जमा करवाने तथा विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

10.00 इस योजना में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के प्राविधान लागू होंगे।

11.00 आवंटी को समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो रथानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उप-नियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।

12.00 भवनों का प्रयोग

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

इस योजना में भवनों के आवंटन से पूर्व किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार परियोजना के विकासकर्ता को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

तालिका में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा। (जिसका भुगतान लिया जायेगा) किसी विवाद की दशा में आवास बन्धु द्वारा स्थीकृत डीपीआर के आधार पर गाजियाबाद न्यायालय का निर्णय मान्य होगा।

7.00 UNSUCCESSFUL APPLICANTS

The registration amount shall be refunded in the unsuccessful applicant's bank accounts within 45 Days of the draw by nodal branches through Draft/cheque or online.

8.00 Fake presentation or supersession of facts If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled & his/her registration amount shall be forfeited.

9.00 POSSESSION: Possession of the flat in this scheme shall be given after completion of development work and payment of total amount /other charges & registration of sale deed by him/her.

10.00 The Uttar Pradesh Apartment Act 2010 will be applicable to the scheme.

11.00 Allottee shall pay all the municipal taxes and other taxes which may be charged by Government or any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.

12.00 USE OF FLATS

The flats shall be used for residential purpose only by the allottee.

OTHER IMPORTANT NOTICES

Before the allotment of unit any terms and condition of the scheme may be revised by the developer and the same would be applicable to applicants/allottees.

Area of flats shown in table may change. At the time of actual Possession of the scheme change in area is possible which will finally be informed to the allottee & charged accordingly.

In case of any disputes, based on DPR approved by Awas Bandhu Lucknow, Ghaziabad courts shall have jurisdiction.

आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा-निदेश

1. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जिसे आवेदक द्वारा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत कराकर जिसे विशेष अटोर्नी अधिकार दिया गया हो, किया जाना चाहिए।
2. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
3. आवंटी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन संख्या कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
4. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र विकासकर्ता को तत्काल दी जानी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

सभी यूनिट के लिए पंजीकृत राशि का डी.डी./चैक/ऑनलाइन भुगतान (तालिका-01 के अनुसार) “निलाया इंफा प्रा० लि०” को देय होगा आवेदन फार्म, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो कापी सहित जमा करें।

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

1. The application Form must be signed by the applicant(s), or a person duly authorised by a special power of attorney on a Non-Judicial Stamp Paper duly attested by a First Class Magistrate or registered in Sub-Registrar's office.
2. Incomplete/Invalid/Illegible application forms are likely to be rejected. No correspondence in this regard shall be entertained.
3. In all future correspondence Applications No. should be quoted by the allottee. However, form Sl. Number may be quoted till Allottee's Code is not received.
4. Any Change in mailing address should be informed immediately to Nilaya Infra Pvt. Ltd. with the proof of changed mailing address.

How To Apply

DD/Cheque of registration amount as per table 01 for all Unit Types in favour of “Nilaya Infra Pvt. Ltd.” to be deposited along with the Application Form, PAN Card and Aadhar Card copy.

सुखद पर्यावास

For Payment through NEFT/RTGS:

Bank Name: HDFC Bank

Branch: Raj Nagar, Ghaziabad

IFSC Code: HDFC0000153

Name: Nilaya Infra Pvt. Ltd.

A/C No.: 50200020454430

Please mention your Form Number

बुकिंग फॉर्म चुनिंदा बैंकों की शाखाओं पर उपलब्ध हैं।

Booking Forms will be available at select Bank Branches.

SITE PLAN



उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार



उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार



उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार



आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उप्रेशासन



प्रधम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2284880, 2627021,
फैक्स: 0522-2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 2071 / आ०ब०-१ / स०आ०य०-३०प०आ० / 2016 लखनऊ दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/s Nilaya Infra Pvt.Ltd. (Consortium), Delhi द्वारा प्रस्तुत परियोजना (NILAYA GREENS) की ढी०पी०आ० की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत M/s Nilaya Infra Pvt.Ltd. (Consortium), Delhi द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के ग्राम-मोरटा, परगना-जललाबाद तहसील व जिला-गाजियाबाद के खसरा नम्बर-1023/1मि०, 1023/2मि० व 1015 कुल क्षेत्रफल 38998.23 वर्गमीटर (9.63 एकड़ रोड वाइडनिंग के पश्चात) पर "NILAYA GREENS" नामक परियोजना आवास बन्धु उप्र० में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-74/3492/आठ-1-14-34वेठक/14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश संख्या-12/2016/ 119/आठ-1-16-34वेठक/2014 दिनांक 12 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-13/2016/ 120/आठ-1-16-34वेठक/2014 दिनांक 12 फरवरी, 2016 के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 15.12.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत "NILAYA GREENS" परियोजना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना पर आपके विकास क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृत/अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में उपलिखित शासनादेशों के अनुपालन में आवश्यक अनुबन्ध भी सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्न-अनुमोदित ढी०पी०आ० की हार्डकापी तथा साप्टकापी।

भवदीप
22.12.2016
(एस०क०श्रीवास्तव)
निदेशक, अनुश्रवण

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
- अधिकारी निदेशक (आवास बन्धु)/सचिव (आवास विभाग), उप्र० शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ।
- M/s Nilaya Infra Pvt.Ltd. (Consortium), Delhi को इस आशय से प्रेषित कि यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

निदेशक, अनुश्रवण
(एस०क०श्रीवास्तव)

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

Recent Developments in Ghaziabad

उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत सस्ते घर का उपहार

रैपिड रेल के ट्रैक पर ही दौड़ेगी सेरठ मट्टो

राष्ट्रीय रुँग में रंगेंगी हाई स्पीड ट्रेन

रैपिड रेल और कॉमन स्टेशन परतापुर से मोटीपुरम तक एक ही ट्रैक

मेट्रो से लाजवाब होगी कनेक्टिविटी

2 WEEKS TO GO: Eastern Peripheral Expressway Still Doesn't Have Fuel Stations, Repair Shops, Eating Joints, 135km, six lanes and a 1.5hr drive: This is how life on fast lane will pan out for you

बारिश हो या तूफान, गाजियाबाद में नहीं रुकेगा मैच-शुक्रवार

PWD clears proposal for flyover in Raj Nagar Ext over former highway

176

QAZIQRAZ The public works department (PWD) has denied the proposal to rechristen one of its spans over the Karakala River between Raj Nagar Extension and Kharar.

After SH-58 was handed over to a highway last year, it was handed over to the PWD as per a state government resolution in 2010.

The name of the author of the book
is the Honorable Michael Lewis
and the title is *Moneyball*. The book
is a memoir of the author's time as
general manager of the Oakland A's.
The book details the author's efforts
to build a team using statistical analysis
and probability theory to identify
talent that was undervalued by traditional
baseball scouts. The book has been
widely praised for its innovative
approach to sports management.

"We have given assurance for the project to the GIA. They will have to negotiate a service line in the area, and also have to take care of the piped gas line that passes through the area. They will make use of existing land in the vicinity and also provide encouragement. We also reviewed their initial plan and have given them the permission after a thorough study," said Manish Verma, executive director - PWD.

PWD



- The flyover will be built over the eastward NH-58 to decongest the Raj Nagar Extension intersection. It will be constructed at a cost of ₹50 million.

take place away from the narrow country road. The chairman was given a review of the traffic counts and planned provision for the BURH summer. We are also planning to extend the road across the highway and will send a proposal to the government. This is because the volume of traffic has increased in the season despite the road being designated as a highway, based.

structure. The middle portion between the two turns will be used for the RPTs, which will come up on an staggered section, during the meter audit process.

The authority had proposed the players to disengage the contract as a necessary volume of traffic is witnessed at the intersection.

"The design for the flyover has been approved by the BRTA agency. The three-lane flyover is waiting to be vetted by UT Roads. The CPCB has also

position is the construction agency. Construction is not the primary concern; it can be omitted. We may assume a low interest rate. We'll take the project and Custer Creek, Inc., will finance the remainder.

हकीकत बनाने को तैयार इंटरनैशनल स्टेडियम

एक नवाहर 50 400 32 45

प्राचीन संस्कृत का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन
प्राचीन संस्कृत का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन
प्राचीन संस्कृत का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन
प्राचीन संस्कृत का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन	विजय नारायण की विद्या का अध्ययन

परियोजना के मुख्य आकर्षण

- अफोर्डेबल निवास, आवास—बन्धु (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार) द्वारा प्रमाणित
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्रमाणित ले—आउट प्लान
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लिये गये लोन के ब्याज में सब्सिडी
- रेरा (**RERA**) के नियमों के अनुकूल
- ग्रीन बिल्डिंग अवधारणापूर्ण निर्माण
- उ०प्र० शासन की नीति के अनुसार कोई अतिरिक्त लोकेशन चार्ज, बाहरी विकास शुल्क, आन्तरिक विकास शुल्क, लीज रेंट व अन्य किसी तरह का कोई शुल्क देय नहीं
- बुकिंग के बाद मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी
- परियोजना में स्कूल, बैंक, दुकानें, रेस्टॉरंट, क्लब, आदि हेतु व्यवसायिक स्थान उपलब्ध
- 2020 में पहले फेज़ का कब्जा प्रस्तावित
- भवनों का निर्माण IIT के भूकंपरोधी डिजाइन पर कराया जा रहा है
- बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध
- अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं सिटी फोरेस्ट के निकट
- रेनवाटर हारवेस्टिंग सुविधा
- परियोजना में क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक, इंडोर गोम्स, बैडमिंटन, वालीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट आदि की सुविधा उपलब्ध



ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे : 2 किमी *



एलिवेटेड रोड द्वारा दिल्ली से राजनगर एक्स : 7 मिनट*



दिवाली से पहले हिंडन एयरपोर्ट से भर्ते उड़ान, PM करेंगे उद्घाटन

हिंडन एयरपोर्ट (प्रस्तावित)



राज नगर एक्स मेट्रो स्टेशन : 5 मिनट*



प्रस्तावित रैपिड रेल स्टेशन : 5 मिनट *
(दिल्ली—मेरठ)



वानस्पति से बड़ा होगा गाजियाबाद का स्टेडियम
इंटरनेशनल बीसीसीआई क्रिकेट स्टेडियम (प्रस्तावित)



सिटी फॉरेस्ट



पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट**

**Artistic Impression

विशेषताएं

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> भूकंप प्रतिरोधी निर्माण <input checked="" type="checkbox"/> गुणवत्ता पूर्ण सस्ते मकान <input checked="" type="checkbox"/> खुला प्लॉट (चारों तरफ सड़क) <input checked="" type="checkbox"/> रातदिन सुरक्षा (CCTV द्वारा) <input checked="" type="checkbox"/> ग्रीन बिल्डिंग अवधारणापूर्ण निर्माण <input checked="" type="checkbox"/> अत्याधुनिक कलब हाउस <input checked="" type="checkbox"/> व्यवसायिक केन्द्र <input checked="" type="checkbox"/> अग्निशमन व्यवस्था <input checked="" type="checkbox"/> 24 घण्टे पानी एवं बिजली की व्यवस्था | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> बच्चों के खेलने का पार्क <input checked="" type="checkbox"/> जौगिंग ट्रैक <input checked="" type="checkbox"/> साईकिलिंग ट्रैक <input checked="" type="checkbox"/> योगा पार्क <input checked="" type="checkbox"/> स्वीमिंग पूल <input checked="" type="checkbox"/> जिम्नेज़ियम <input checked="" type="checkbox"/> इंडोर गेम्स <input checked="" type="checkbox"/> बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल कोर्ट |
|--|---|

आवासीय विनिर्देश

- विट्रीफाईड एवं सेरेमिक टाईल्स :
- बैडरुम/हॉल/रसोई/स्नानघर/बालकनी / दीवारों पर प्लास्टर एवं ईमल्सन पेंट
- रसोई में ग्रेनाइट स्लैब एवं स्टेनलैस स्टील का सिंक
- दरवाजे : लकड़ी की चौखट व पेंटिंग (इनेमल)
- खिड़कियाँ : पी०वी०सी० / अल्युमीनियम फ्रेम
- रेलिंग : एमएस
- स्वीच/सॉकेट

आवेदन फार्म HDFC बैंक की निम्नलिखित शाखाओं पर उपलब्ध हैं

HDFC Bank

AGRA

SHOP NOS 3, 4, 11 GROUND FLOOR, BLOCK NO 17/2/4
FRIENDS PLAZA, SANJAY PLACE, AGRA

ALIGARH

3-316, RAMGHAT ROAD, ALIGARH

BULANDSHAHAR

460 DM ROAD, BULANDSHAHAR

GHAZIABAD

D-44, RDC, RAJ NAGAR, GHAZIABAD

GHAZIABAD

VC-1, SECTOR-1, ADJ TO INCOME TAX OFF, VAISHALI,
GHAZIABAD

GHAZIABAD

4/5, OM PLAZA, SECTOR 15 C, VASUNDHARA,
GHAZIABAD

GHAZIABAD

N/3 - 28, AMBEDKAR ROAD, NEHRU NAGAR, GHAZIABAD

GHAZIABAD

G 2 & 3 WINDSOR PARK, 5 VAIBHAV KHAND ,
INDIRAPURAM, GHAZIABAD

GHAZIABAD

SHOP NO. 107, RMS HOUSING SOCIETY, TRONICA CITY,
LONI, GHAZIABAD

GHAZIABAD

Shop No 5 & 6, Gardenia Square, Crossings Republik

GHAZIABAD

Gaur Homes, F Blk, Govindpuram, Ghaziabad

GHAZIABAD

Bldg No 21, Kaushambi, Ghaziabad

GHAZIABAD

PN 83, Sector 5, Ghaziabad

GHAZIABAD

SN 1 to 6, Devika Tower, Chander Nagar, Ghaziabad

KANPUR

KRISHNA TOWER, 15/63 CIVIL LINES, KANPUR

LUCKNOW

31/31, M.G.ROAD, HAZRAT GUNJ, LUCKNOW

MODINAGAR

NEAR AMBER CINEMA, G.T.ROAD , MODINAGAR

MURADNAGAR

PROP NO 578-587 SHIMLA MARKET, NEAR PETROL

PUMP, DELHI MEERUT ROAD, MURADNAGAR

MEERUT

381, WESTERN KACHEHARI ROAD, MEERUT

MORADABAD

PD. SHANKAR DUTT SHARMA MARG, OPP. ELECTION

COMMISSION OFFICE, CIVIL LINES, MORADABAD

MUZZAFARNAGAR

53/4-A, BHAG KAMBAL WALA, JANSATH ROAD, NEW
MANDI, MUZZAFARNAGAR

NOIDA

ANSALS FORTUNE ARCADE, K - BLOCK,
SECTOR - 18, NOIDA

NOIDA

PLOT - 1B, C - BLOCK, SEC - 63, NOIDA, GAUTAM BUDH
NAGAR

SIKANDRABAD

NEAR PUNJAB NATIONAL BANK, CHOURHARY WADA,
SIKANDRABAD

NEW DELHI

H-69, OUTER CIRCLE, CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI

DELHI

PLOT NO. 1&2, V4 MAYUR PLAZA, LSC, MAYUR VIHAR, PH-1

DELHI

662/9, SHIV PURI MAIN ROAD, GEETA COLONY, DELHI


PANIPAT

IOCL REFINERY, NEAR BSNL BUILDING, PANIPAT,
BAHOLI, HARYANA

PATNA

KRISHNAYAN, NEAR POLICE CHECK POST, BORING

ROAD, PATNA, BIHAR



राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों से 90 प्रतिशत
तक की होम लोन सुविधा उपलब्ध हैं।

Our Banking Partners



विकासकर्ता:



Site Address: Khasara No. 1023, 1015, Near The Modern School, NH-58, Raj Nagar Extension, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201003

Helpline No.: +91-8588899909, 91-8588899919 | **Email:** info@nilayainfra.org | **Website:** www.nilayainfra.org

मूल्य: ₹250 / -

DISCLAIMER: The information and content set out herein, including all services, infrastructure, facilities, designs, layout plan, specifications, Google markings are conceptual or based on projections and subject to change, without prior notice, at the sole discretion of the company. All images are artistic conceptualization for illustration only and do not purport to replicate the exact product and not legal binding.